छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 397/2006</u>

श्री अयाज तनवीर, ... आवेदक
अधिवक्ता,
गौरीनगर वार्ड क्रमांक–12
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, ... अनावेदक
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::
(10 अगस्त 2006)

श्री अयाज तनवीर, अधिवक्ता के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर के विरूद्ध शिकायत पत्र प्रस्तुत की है कि आवेदक के वर्ष 2003 की न्यायिक सेवा परीक्षा हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा दी थी। उसके द्वारा प्रश्नवार प्राप्तांकों की जानकारी चाही गई थी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रश्नवार प्राप्तांकों की जानकारी आवेदक को दी गई। साथ ही आवेदक के आवेदन पर वर्ष 2004 न्यायिक सेवा परीक्षा के प्रथम एवं द्वितीय प्रश्नपत्रों की उत्तरपुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रति भी भेजी गई। आवेदक अब वर्ष 2003 की न्यायिक सेवा परीक्षा की प्रथम व द्वितीय प्रश्नपत्र की उत्तरपुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रति चाहता है। जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा उसे प्रतिलिपि देने से इंकार किया, जिसके विरूद्ध यह शिकायत की गई।

अनावेदक जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी किया गया। अनावेदक ने स्वीकार किया कि आवेदक को वर्ष 2004 की न्यायिक सेवा की परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रति दी गई थी। आवेदक वर्ष 2003 की परीक्षा के प्रश्नपत्र क्रमांक–1 एवं 2 की उत्तरपुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रति चाहता है। केन्द्रीय सूचना आयोग के द्वारा प्रकरण क्रमांक–11/53/2006 दिनांक 2–5–2006 में निर्णय दिया गया है कि उत्तरपुस्तिकाओं को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए तथा इसकी प्रतिलिपि देने से परीक्षा की गोपनीयता भंग होती है। अतः आवेदक को वर्ष 2003 की न्यायिक सेवा की परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रति देने से अस्वीकार किया गया। आवेदक का यह तर्क है कि इसे वर्ष 2004 की न्यायिक सेवा की परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई है। अतः 2003 की प्रति भी दी जाना चाहिए।

मेरे द्वारा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं तर्कों पर विचार किया गया। चूँकि परीक्षा की गोपनीयता बनाये रखना आवश्यक है। अतः आवेदक का आवेदन सूचना अधिकारी के द्वारा अस्वीकार किया गया है, वह औचित्यपूर्ण है। आवेदक ने मौखिक रूप से आयोग के समक्ष उल्लेख किया कि वर्ष 2004 की न्यायिक सेवा की परीक्षा की प्रमाणित उत्तर पुस्तिकाओं में उसके एक प्रश्न में अंक कम दिया जाना प्रमाणित हुआ था। अतः यह संभावना है कि वर्ष 2003 की परीक्षा में भी उसे कम अंक दिये गये हों। आवेदक के इस आशंका पर आयोग यह उचित समझता है कि परीक्षा में दिये गये अंकों की निष्पक्षता प्रतिपादित करने के लिए आवेदक को निर्धारित शुल्क जमा कराकर वांछित उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन करने का अवसर दिया जावे। उसे उत्तर पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

उक्त निर्देश के साथ शिकायत का निराकरण किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त